



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अनुरक्षण अनुभाग)
104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।



संख्या

/ अनु0अनु0 /

दिनांक

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त महोदय द्वारा परिषद क्रीड़ा क्लब, कनवेशन सेन्टर, ए-ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ का व्यक्तिगत सदस्यता शुल्क एवं प्रतियोगिता आयोजन हेतु क्रीड़ा क्लब के आरक्षण हेतु निर्धारित शुल्क, दिनांक 01.04.2018 से निम्न प्रकार संशोधित करने का आदेश दिया गया है:-

क्रम सं०	मद	01 अप्रैल 2018 से लागू शुल्क					
		सामान्य व्यक्ति शुल्क			परिषद कार्मिक शुल्क		
		शुल्क	जी०एस०टी० 18%	कुल	शुल्क	जी०एस०टी० 18%	कुल
1	प्रति व्यक्ति मासिक शुल्क	600.00	108.00	708.00	300.00	54.00	354.00
2	प्रति व्यक्ति वार्षिक शुल्क	6000.00	1080.00	7080.00	3000.00	540.00	3540.00
3	प्रति वर्ष 10 वर्ष हेतु	-					
4	प्रति वर्ष आजीवन	-					
5	किसी संस्था / विभाग में पक्ष में आवंटन का प्रतिदिन शुल्क	रु० 2270.00 (रु० 1500.00 आरक्षण शुल्क + जी०एस०टी० 18% कुल योग रु० 1770.00+ रु० 500.00 विद्युत व्यय)					

अतः एतद्वारा उक्त आदेश अनुपालन हेतु आदेश निर्गत किए जाते हैं। सदस्यता एवं आरक्षण संबंधी शेष नियम व शर्तें आदेश सं० 843/स० को०—422 दिनांक 10.05.2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही होंगी। सदस्यता शुल्क की प्राप्ति एवं उसे परिषद कोष में जमा कराने का कार्य श्री रेहान अब्बास जाफरी, वरिष्ठ सहायक द्वारा संपादित किया जायेगा।

भवदीय

(ए० ए० अन्सारी)

अधिशाली अभियन्ता (अनुरक्षण)

दिनांक 16.04.18

पृ० सं० 141 / अनु० अनु० /

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. सहायक अभियन्ता (अनुरक्षण) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय
2. प्रबन्धक, कनवेशन सेन्टर, इन्दिरा नगर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. श्री रेहान अब्बास जाफरी, वरिष्ठ सहायक, अनुरक्षण अनुभाग उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. कैशियर, अनुरक्षण अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. सूचना पट्ट, मुख्यालय/परिषद क्रीड़ा क्लब।

अधिशाली अभियन्ता (अनुरक्षण)